कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोण्डागांव (बस्तर) छ0ग0

क्रमांक/पुअ./कोण्डा./एसी/ M-475 /2016 दिनांक 04 /02/2016

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल
कोण्डागांव

विषयः- फायरिंग रेंज हेतु 5.000 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में आनलाईन पंजीयन के संबंध में।

संदर्भः- पत्र क्र0 मा0चि0/673 कोण्डागांव 14.01.2016 प्रकरण क्र. FP/CG/Other/8948/2014

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिला कोण्डागांव में फायरिंग रेंज निर्माण हेतु वन भूमि कक्ष क्र0 पी 773 मे से 5.000 हेक्टेयर भूमि हेतु इस कार्यालय द्वारा आनलाईन पंजीयन किया गया है जिसमें नोडल कार्यालय द्वारा आपत्ति की गई है । उक्त आपत्ति के निराकरण की जानकारी चाही गई है जो निम्नानुसार हैः-

1- Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station with Authorized seal and singature:

- उपरोक्तानुसार मानचित्र सील एवं हस्ताक्षर सहित संलग्न है ।

2- Status of settlement of rights under the forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

- उपरोक्तानुसार कलेक्टर द्वारा वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र की जानकारी प्रपत्र "ब" में तैयार कर संलग्न है ।

3- DGPS survey report in prescribe formeat are enclosed with Authorized seal and signature in additional information

- उपरोक्तानुसार DGPS survey report सील एवं हस्ताक्षर सहित संलग्न है ।

4- Will there be any use of Forest land other than this while approaching the site and if so the same be added in the land diversion proposal. No passage will be allowed from the forest land.

- NH 30 एवं फायरिंग रेंज हेतु प्रस्तावित भूमि के बीच 12 हेक्टेयर भूमि पुलिस आवास, पुलिस लाईन एवं एसटीएफ हब के लिए प्रस्तावित है, जिसमें प्रथम चरण की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्राप्त हो गई है । उक्त प्रस्तावित भूमि हेतु 5.000 हेक्टेयर भूमि की मांग न्यूनतम है । प्रस्तावित फायरिंग रेंज भूमि स्थल में पहुंचने के लिए अतिरिक्त वन भूमि की आवश्यकता नहीं है ।

5- The classification of forest i.e whether Reserve, Protected or Revenue Forest with area be given.

- Protected Forest है। वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल द्वारा प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

6- Already proposal police Line Ground is Registered as FP/CG/Others/11828/2015. So why can not that ground be used as Helipad ?

- पूर्व में पुलिस परेड ग्राउण्ड हेतु जिला कोण्डागांव से कोई भी प्रकरण पंजीयन नही करवाया गया है। हेलीपेड हेतु पृथक से भूमि चयन कर पंजीयन हेतु समस्त जानकारी ऑनलाईन अपलोड किया गया है। राष्ट्रीय उत्सव 15 अगस्त एवं 26 जनवरी मे परेड की तैयारी करने एवं सप्ताह में 02 दिवस (मंगलवार एवं शुक्रवार) पुलिस विभाग में जनरल परेड करवाया जाता है, जिले में पुलिस परेड ग्राउण्ड उपलब्ध नहीं होने से भारी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है ।

प्रकरण क्र. FP/CG/Other/8948/2014 फायरिंग रेंज हेतु प्रस्तावित है, जिला कोण्डागांव नक्सल अतिसंवदेनशील क्षेत्र है पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को समय-समय पर चांदमारी का अभ्यास किया जाना आवश्यक है जिससे नक्सल मुठभेड़ के दौरान मनोबल एवं साहस बढ़ता है। जिला पुलिस कोण्डागांव हेतु जिले में फायरिंग रेंज उपलब्ध न होने से चांदमारी हेतु अन्यत्र जिला जाना पड़ता है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिले में ही फायरिंग रेंज होने से समय-समय पर होने वाले चांदमारी पर भारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

7- Upload Scan copy of the Demand Drafts for Registration and prosessing fee be enclosed in the post name of Divisional Forest Officer concerned.

- संलग्न है ।

संलग्नः-पंजीयन हेतु ऑनलाईन अपलोड किये फाईलों की
सॉफ्ट कॉपी सीडी 01 नग एवं उपरोक्तानुसार।

पुलिस अधीक्षक
जिला कोण्डागांव
04/02/2016

पृ. क्रमांक/पुअ./कोण्डा./एसी/ /2016, दिनांक /02/2016

प्रतिलिपिः-
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
2. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त, कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ।
5. उप वनमंडलाधिकारी दक्षिण वनमंडल कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ ।

पुलिस अधीक्षक
जिला कोण्डागांव